<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>22.08.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत 21.08.2026 को जयपुर में 2 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एफसीआरए पंजीकरण के बिना प्राप्त तथा घोषित उद्देश्य से अलग तरीके से उपयोग किए गए 2 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी दान के दुरुपयोग के संबंध में की गई।

ईडी ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत इस सूचना/खुफिया जानकारी के आधार पर जांच शुरू की कि होप मिनिस्ट्री से संबद्ध एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी पादरी रवि मोहन पहाड़िया, जयपुर में अनुसूचित जाति-वाल्मीकि/एसटी-भिल्ल समुदायों और क्रमशः आदिवासी बहुल दक्षिण राजस्थान में धर्म परिवर्तन और धर्मांतरण गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से अमेरिका स्थित एक दाता थॉमस यूजीन लिंच से लगभग 2.20 करोड़ रुपये का विदेशी धन अवैध रूप से प्राप्त कर रहा है।

जांच में पता चला कि रवि मोहन पहाड़िया और उनकी पत्नी गुंजन शर्मा ने लगभग 2.34 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त किया। इस धन को मुख्य रूप से व्यापार एवं प्रबंधन परामर्श तथा जनसंपर्क सेवाओं के उद्देश्य से तथा भारतीय अनिवासी व्यक्तियों द्वारा परिवार के भरण-पोषण एवं बचत के लिए भेजी गई राशि के रूप में दर्शाया गया था। इस धनराशि का अधिकांश हिस्सा अमेरिका स्थित दाता थॉमस ई. लिंच से प्राप्त हुआ था।

तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि रवि मोहन पहाड़िया ने एफसीआरए की अनुमति के बिना और उद्देश्य को गलत तरीके से दर्शाकर दान के रूप में 2.88 करोड़ रुपये की भारी विदेशी धनराशि प्राप्त की तथा अंततः इन निधियों का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों, विदेश यात्राओं और अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए किया।

इसके अलावा, प्रथम दृष्टया यह भी सामने आया है कि वह विदेशी नागरिकों के साथ नियमित संपर्क में हैं और उनके निर्देश पर विभिन्न राज्यों के वंचित एवं आदिवासी लोगों के बीच धर्म प्रचार/धर्मांतरण गतिविधियों के लिए बैठकों एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में संलिप्त हैं।

आगे की जांच जारी है।